

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)


मनमर देवी पत्नि गोपाल धाकड नि. बहादुरपुरा

बनाम

नारायण पिता देवी गुर्जर नि. बहादुरपुरा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 658/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम को तारीख में लागू हवे
22.06.22	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बहादुरपुरा प. ह. मनोहरपुरा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 173/48 रकबा 1.0800 हैक्टेयर तथा आ. न. 173/47 रकबा 0.8640 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगटी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगटी के आदेश प्रदान किये जाये। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगटी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगटी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम बहादुरपुरा प. ह. मनोहरपुरा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 173/48 रकबा 1.0800 हैक्टेयर तथा आ. न. 173/47 रकबा 0.8640 हैक्टेयर की पडोसियान की उपस्थिति में पत्थरगटी करने हेतु मू अभिलेख निरीक्षक अमरगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा कराये। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जाये। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)